

- 111 ऐसे व्यक्तियों/अधिकारियों/सेवकों को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अंशकृत होना चाहिये।
- 120 उक्त आशय को अपने नियोजता से लिखित रूप में पूर्ण अनुमति प्राप्त करनी चाहिये।
- 130 स्थायी तथा परिवार कल्याण में सत्य सदा अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित किये गये आदेशों/सूचियों से सम्बन्धित सेवकों/अधिकारियों के मामलों में सम्बन्धित मन्त्रालय की वांछित अनुमति। क्लियरेंस। प्राप्त की जानी। अनिवार्य होगी।

इस प्रकार उक्त प्रक्रिया के अनुपालन करने के उपरान्त नियोजता से वांछित स्वीकृति। क्लियरेंस। प्राप्त करके ही अनामति प्रमाणपत्र दिये जा सकेंगे।

3. कृपया इन आदेशों के तत्पश्चात् अनुपालन हेतु अपने अधीन सभी सम्बन्धित सेवकों को विधिवत अवगत करा दें।

भवदीय,

निरंकर प्रसाद, श्रीलक्ष्मी
संयुक्त सचिव
प्रशासन

संख्या: 2459-जी/रा0वि0प0-का-एक-142ए/1280

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता, 30 प्र0 रा0 वि0 परिषद।
- 2- मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी प्रशासन, 30 प्र0 राज्य विपुल परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिदेशक। सतर्कता, 30 प्र0 रा0 वि0 प0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक। सतर्कता, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान। विपुल कोठठा, 12-वैनी प्रसाद मार्ग, लालबाग, लखनऊ।
- 5- परिषद मुख्यालय स्थित समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/निजी सचिव, 2 प0 राज्य विपुल परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

रामेश्वर प्रसाद भागवत
संयुक्त सचिव।

F-42 (3)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.
A Govt. of Uttarakhand Undertaking
Urfi Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone: 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771



उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(सरकार के अधीन का उपक्रम)
उर्फी भवन, कानवली
देहरादून - 248001
दूरभाष : 2763672-75, फैक्स 91-135-2769771

संख्या : 2190 - नि०(मा०स०)/उपाकालि/21अनु.ए/एफ-2

दिनांक : 15 मई 2007

मुख्य महाप्रबन्धक,
रगिस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विषय :- कारपोरेशन/निजी हित में की जाने वाली वैदेशिक यात्राओं के लिए अनुमति/पारपत्र बनवाने/नवीनीकरण हेतु पहचान प्रमाणित किये जाने/संस्तुति/अनापत्ति निर्गतन हेतु आवेदन पत्र का संशोधन।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय में यह कहने का निदेश है कि पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं.457-जी/रा०वि०पा०/का-1-177ए/1977, दि.23 फरवरी, 1981 के माध्यम से सार्वजनिक हित में, तथा आदेश सं. 367-जी/रा०वि०पा०-का-1-142ए/1980, दि.24 फरवरी, 1981 के माध्यम से निजी कारणों से कार्मिकों को विदेश-गमन हेतु पारपत्र के लिए अनापत्ति व विदेश-गमन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया व प्रारूप पूर्वनिर्धारित हैं।

सम्प्रति भारत सरकार के पारपत्र विभाग द्वारा पारपत्र हेतु आवेदन सम्बन्धी Annexure 'B' को संशोधित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर नवीन प्रारूप में अनापत्ति/Identity Certificate/ Recommendation निगत, किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है।

अतः समविषयक पूर्ववर्ती परिषद के उपर्युक्तलिखित आदेशों के आंशिक संशोधन में, विदेश गमन हेतु अनुमति/पारपत्र बनवाने/नवीनीकरण हेतु पहचान प्रमाणित किये जाने/संस्तुति/अनापत्ति पत्र निर्गतन के लिए आवेदन पत्र का संशोधित प्रारूप निर्धारित किया गया है। नवीन आवेदन प्रारूप में सम्बन्धित आवेदक तथा नियन्त्रक अधिकारी द्वारा क्रमांक-1 से 5 तक सूचनाएं/प्रमाणक अवश्य अंकित किए जाने, आवेदक के तीन नवीनतम फोटोग्राफ व पहचान पत्र/वेतन स्लिप की संतुष्टि प्रतियां तथा कारपोरेशन द्वारा आदेश सं. 1617-मा०स०-ए/93एस-7, दि.16 अगस्त, 2003 द्वारा यथावांछित आवेदक का परिसम्पत्ति विवरण संलग्न किए जाने अनिवार्य है। Passport Act, 1967 की धारा 6(2) के अनुसार वांछित सूचनाएं/प्रमाणक संपूर्ण करा जाने के लिए सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त धारा के सम्बन्धित अंश संलग्नक में उद्धृत है।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ विधिवत अवगत कराए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त,

भवदीय,

[डा०पी०सी०जोशी]
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी
25/05/2007

संख्या : 2160 -नि0(गा0सं0)/उपाकालि/21अनु.ए/एफ-2,तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव,आ0एवं प्र0नि0, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 2- निजी सचिव,निदेशक(वित्त) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 3- निजी सचिव,निदेशक(गा0सं0) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 4- कम्पनी सचिव, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,उ0पा0का0लि0,देहरादून ।
- 5- समस्त उप महाप्रबन्धक(वित्त)क0ले0का0 / वितरण / आन्तरिक सम्प्रेक्षा,उ0पा0का0लि0 ।
- 6- 1. महाप्रबन्धक(सूचना प्रौद्योगिकी) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 7- 2. स्त अधिकारी एवं अनुभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।

संलग्नक-यथोक्त,


[डा0पी0सी0जोशी]
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

SECTION 5(2) (C) OF THE PASSPORT ACT, 1967

Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country unless clause (C) sub-section 5 of anyone or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

- (i) that the applicant is not a citizen of India.
- (ii) that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.
- (iii) that the departure of the applicant from India may, or is likely to be detrimental to the security of India.
- (iv) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country.
- (v) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application been convicted for an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof imprisonment for not less than two years.
- (vi) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in India.
- (vii) that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court.
- (viii) that the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation.

परिपदाज्ञा सं० 367-जी/एसईवी-के-1-142ए/1980 दि.24-2-81 सपठित कारपोरेशन के परिपत्र सं. 2100-नि०(भा०सं०)/अपाकानि/21अनु.ए/एफ-2,दि.15-05-2007 के अनुसार विदेश गमन में अनुमति/पार पत्र बनवाने/नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तानिष्ठ सूचनाएं

- 01- [अ] अधिकारी/अधिकारिक का नाम :
 [ब] पद :
 [स] पिता का नाम :
 [द] स्थाई पता :
 [य] यदि स्थायी हों तो पद तथा स्थायीकरण की तिथि :
 [र] यदि अस्थायी हों तो परिपद/कारपोरेशन में नियमित नियुक्ति की तिथि :

- 02- [अ] पूरा पता / विदेश में ठहरने का पूरा पता :
 [ब] विदेश जाने का प्रयोजन :
 [स] विदेश में ठहरने की अवधि :
 [द] कुल कितने दिनों का अवकाश अपेक्षित है ?
 [य] विदेश गमन पर अनुमानित कुल परिवार :
 [र] धन का आंत :

- 03- [अ] यदि पहले भी जा चुके हों तो उस :
 मात्रा का उद्देश्य :
 [ब] क्या पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति अस्वीकृत हुई है ?

- 04- निम्नलिखित के समन्वय में लिखित प्रतिज्ञा दें :-
 (अन्य से संलग्न किये जायं)
 [अ] आवेदन क्रम संख्या-2[द] पर स्वीकृत :
 अवकाश नहीं बढ़ाएंगे
 [ब] यह मात्रा पूरी तरह से व्यक्तिगत होगी :
 यह किसी भी राजनैतिक अथवा अराज्यवादी गतिविधियों में भाग /
 संलग्न नहीं होगी ।

संलग्नक :

आवेदक के हस्ताक्षर :
 नाम/अभिज्ञान व सम्प्रेक्षा सं० :
 एमलाई कोड :
 पूरा पता :

8

- 05- [अ] इनके विरुद्ध कोई सतीकता राज्य/
परिषद/कारपोरेशन जांच लम्बित नहीं है।
- [ब] इनके ऊपर कोई परिषदीय/कारपोरेशन का
अवरोध लम्बित नहीं है।
- [स] अधिकारी जिस विभाग में कार्यरत है, उस
विभाग के कार्य में किसी प्रकार का -
कोई भी व्यवधान उपस्थित नहीं होगा।
- [द] गैर द्वाय पारामोर्ट अधिनियम-1967 की धारा
6(2) का अध्ययन कर लिया गया है। यह
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को
सन्दर्भ में सख्त धारा-6(2) के प्राविधान
आकर्षित नहीं होते।

नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर :
पदनाम मुहर सहित :

विदेश गमन की अनुमति/ पार पत्र बनवाने/नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञा पत्र

सम्बन्धित आदेश के संलग्न प्रश्न के क्रमांक-1 के सन्दर्भ में मैं
निम्न लिखित के सम्बन्ध में लिखित प्रतिज्ञा करता/करती हूँ :-

- 1]- कि मैं अश्विगत अवकाश स्वीकृति के उपरान्त ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करूंगा/करूंगी
तथा श्वक स्वीकृत अवकाशायुधि की समाप्ति के पश्चात अवकाश नहीं बढ़ाया जाएगा।
- 2]- कि मेरी प्रस्तावित विदेश यात्रा का उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है एवं विदेश यात्रा/
विदेश प्रवास के दौरान मैं किसी भी राजनैतिक अथवा असांभाजिक गतिविधियों में भाग नहीं
लूंगा/संमिलित नहीं होऊंगा।
- 3]- कि मेरे विरुद्ध कोई विभागीय देय/विविध अभिग लम्बित नहीं है।
- 4]- कि मेरे विरुद्ध कोई सतीकता [राज्य/विभागीय] जांच लम्बित नहीं है।
- 5]- कि मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक /विभागीय कार्यवाही लम्बित नहीं है।
- 6]- कि मेरी आनेदन पारामोर्ट अधिनियम की धारा-6(2) के प्राविधानों से आकर्षित नहीं हूँ।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :
अभिज्ञान सं० :
सम्प्रेक्षा सं० :
सम्पत्ताई कोड :
पूर पता :

THE PASSPORT ACT, 1967

Section 1 of the said Act, the passport authority shall refuse to issue a passport to any person to travel abroad on any foreign
matter unless it is satisfied that the person is not a member of the following categories, and on no other ground, namely:
(a) that the applicant is not a citizen of India;
(b) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(c) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(d) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(e) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(f) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(g) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(h) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(i) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;
(j) that the applicant is not a Hindu, or is likely to engage in activities likely to prejudice relations between the Government and people of India;

1-80 (80)

ANNEXURE A

ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, STATE GOVERNMENT EMPLOYEES, EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS, THEIR SPOUSE AND CHILDREN UP TO THE AGE OF 18 YEARS ARE REQUIRED TO PRODUCE AN IDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT OPTIONS THAT ARE NOT APPLICABLE)

(To be given in Duplicate on Original Stationery)

Certified that Shri/Smt/Miss Son/Wife/Daughter of Shri who is an Indian national, is a temporary/permanent employee of (office address) from (date) and is at present holding the post of Shri/Smt/Miss/Mst. who is also an Indian national is/are a dependent family member(s) of Shri/Smt. and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has no objection to his/her acquiring Indian Passport. I, the undersigned, am duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is certified that this organization is a Central/State Government/Public Sector undertaking/Statutory body. The Identity Card Number of Shri/Smt/Miss (employee) is

Ref No. & Date

Name, Designation, Address & Tel No

Applicant's
photo to
be
attested

Note: Refer Annexure 'F' for details of Section 6(2) of the Passports Act, 1967.